राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

2025 International Year of Cooperatives

क्रमांक :– F.25( )SKV/2024 (Online File No 02975) **दिनांक :– यथा हस्ताक्षरित**

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी,
समस्त।

विषय :– विभाग के पत्राचार में ''शहीद'' शब्द के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग करने के संबंध में माननीय सैनिक कल्याण मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश बाबत्।

प्रसंग :– शासन वरिष्ठ उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक प.4(10)सैक/2018 दिनांक 16.09.2025 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विदित है कि राजस्थान सरकार के पत्राचार में **''शहीद''** शब्द का प्रयोग एक लम्बी अवधि (लगभग 40 वर्ष से अधिक) से बैटल कैजुअल्टी (फेटल) सैनिकों को संबोधित करते समय एवं उनके नाम से विद्यालय नामकरण/अन्य राजकीय संस्थाओं इत्यादि के नामकरण के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा वार मेमोरियल को भी शहीद स्मारक के नाम संबोधित किया जाता रहा है।

''शहीद'' शब्द का हिन्दी शब्द कोष के अनुसार अर्थ है कि '' वह व्यक्ति जो एक धार्मिक विश्वास या अन्य कारण की वकालत करने, त्यागने या इंकार करने या वकालत करने से इन्कार करने के लिए उत्पीड़न और मृत्यु का शिकार होता है। '' इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय, सैनिक कल्याण द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि '' शहीद '' शब्द के स्थान पर अन्य उचित शब्द का प्रयोग किया जाये।

इस संबंध में यहा उल्लेखित है कि :–

01. सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) के ऐसे सैनिक जो किसी युद्ध/ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त होते है तथा उनके अभिलेख कार्यालयों/मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किल्ड इन एक्शन (Killed in Action) एवं बैटल कैजुअल्टी (फेटल) घोषित किया जाता है, जिसका हिन्दी अनुवाद **" युद्ध हताहत (घातक) "** है तथा इसके लिए अभी तक सामान्यतया पत्राचारों में **''शहीद ''** शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

02 सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) के ऐसे सैनिक जो किसी युद्ध/ऑपरेशन में स्थाई रूप से घायल हो जाते है तथा उनके अभिलेख कार्यालयों/मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैटल कैजुअल्टी (नॉन फेटल) घोषित किया जाता है, जिसका हिन्दी अनुवाद '' युद्ध हताहत (अघातक) '' है तथा इसके लिए अभी तक सामान्यतया पत्राचारों में ''स्थाई विकलांग '' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

03 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स (Central Armed Police Forces) (शामिल असम राईफल्स, भारतीय तटरक्षक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) के ऐसे कार्मिक जो किसी युद्ध/ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हो जाते है/घायल हो जाते है तथा उनके अभिलेख कार्यालयों/मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑपरेशनल कैजुअल्टी

घोषित किया जाता है, जिसका हिन्दी अनुवाद " **संक्रियात्मक हताहत** " है ।

अतः इस संबंध में वरिष्ठ शासन उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदत्त सहमति पत्र क्रमांक प.4(10)सैक/2018 दिनांक 16.09.2025 की पालना में अब सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) के सैनिक एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (शामिल असम राईफल्स, भारतीय तटरक्षक एव राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) के कार्मिक जो कि विभिन्न युद्धों/ऑपरेशनों में वीरगति को प्राप्त हुए हैं/होते हैं तथा उन्हें उनके अभिलेख कार्यालयों/मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा क्रमशः बैटल कैजुअल्टी (फेटल) एवं ऑपरेशनल कैजुअल्टी (फेटल) घोषित किया गया है के लिए प्रयुक्त " **शहीद** " शब्द के स्थान पर **"बलिदानी योद्धा"** शब्द का प्रयोग किया जाना है।

तथा सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) के सैनिक एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (शामिल असम राईफल्स, भारतीय तटरक्षक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) के कार्मिक जो कि विभिन्न युद्धों/ऑपरेशनों में स्थाई रूप से दिव्यांग (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग) हुऐ हैं/होते हैं तथा उन्हें उनके अभिलेख कार्यालयों/मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा क्रमशः बैटल कैजुअल्टी (नॉन फेटल) एवं ऑपरेशनल कैजुअल्टी (नॉन फेटल) घोषित किया गया है के लिए प्रयुक्त " **स्थाई विकलांग** " शब्द के स्थान पर **"युद्ध हताहत (अघातक)"** शब्द का प्रयोग किया जाना है।

इस संबंध में आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ब्रिगेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़)
(से.नि.)
निदेशक,
सैनिक कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि – निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01 सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
02 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
03 विशिष्ट सचिव, कार्यालय माननीय सैनिक कल्याण मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
04 विशिष्ट सचिव, कार्यालय माननीय राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
05 निजी सहायक, अध्यक्ष राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, राजस्थान, जयपुर।
06 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

कक्ष संख्या 7225, द्वितीय मंजिल, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर 302005
Email-rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in

☎0141-2227650 & 0141- 2227897

07 वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।

08 समस्त संभागीय आयुक्त
09 सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली।
10 समस्त विभागाध्यक्ष
11 समस्त जिला कलक्टर।
12 समस्त राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशाषी संस्थाऐं, निगम एवं बोर्ड।
13 प्रबंध निदेशक, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड़।
14 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रशासनिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त के संबंध में निशुल्क विज्ञप्ति जारी प्रमुख समाचारा पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
15 श्री संजय गॉधी, वरिष्ठ निजी सचिव, सैनिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16 समस्त अधिकारी/कर्मचारी – सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय हाजा।

निदेशक,

Signature Not Verified
Digitally Signed by BRIG VIRENDRA SINGH
Designation : Director
Date :03-10-2025 01:00:47